VIDHAN SABHA SECRETARIAT
MADHYA PRADESH

Dhananjayarao Gadgil Library
GIPE-PUNE-094515

REPORT

OF THE

SELECT COMMITTEE

ON THE

Madhya Pradesh Irrigation (Amendment) Bill, 1962

(39 of 1962)

Together with the Bill as amended
by the Select Committee.

BHOPAL.
GOVERNMENT CENTRAL PRESS
1964

COMPOSITION OF THE SELECT COMMITTEE ON THE MADHYA PRADESH IRRIGATION (AMENDMENT) BILL, 1962.

Chairman

1. Shri Mahesh Datt Mishra.

Members

2. Shri Bakaiya Raj Pambhoi.
3. Shri Dhansay Verma.
4. Shri Balkrishna Patel.
5. Shri Durgadas Suryavanshi.
6. Shri Babulal Patodi.
7. Shri Shivlal Mehta.
8. Shri Udairam.
9. Smt. Vidyavati Mehta.
10. Shri Bhalchandra Bagdare.
11. Shri Yashwant Rao Meghawale.
12. Shri Ramdass Agrawal.
13. Shri Brindawan Prasad Tiwari.
14. Shri Rameshwar Agnibhoj.
15. Shri Govind Singh Ju Deo.
16. Shri Ramdhan Singh.
17. Shri Shakir Ali Khan.
18. Shri Chandrabhan Singh.
19. Shri Maya Ram.

@20. Dr. S. D. Sharma, Minister for Law.

@21. Shri Takhat Mal Jain, Minister for Planning and Development.

22. Shri Vrinda Sahay.

23. Shri Lakshmi Narayan Naik.

*24. Shri Gulsher Ahmad, Minister for Law.

*25. Shri Rameshwar Prasad Sharma, Minister of State for Irrigation.

Secretariat

1. Shri Madan Gopal, Secretary.
2. Shri R. R. Kanhai, Under Secretary.

@ Ceased to be members of the Committee, with effect from 30-9-63, on relinquishing the office of Minister-in-charge of the concerned Department.

* Became members of the Committee, with effect from 30-9-63 on being appointed Minister-in-charge of the concerned Department.

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE

I, the Chairman of the Select Committee to which the Madhya Pradesh Irrigation (Amendment) Bill, 1962 (No. 39 of 1962), was referred, having been authorised to submit the Report on their behalf, present this their Report with the Bill as amended by the Committee, annexed hereto.

2. The Bill* was introduced in the Vidhan Sabha on the 1st April, 1963 The same day the Minister for Planning and Development moved for the Bill being referred to the Select Committee. The motion was discussed in the House and adopted the same day.

3. The Committee held seven meetings in all.

4. In their first meeting held on the 29th May, 1963, the Committe discussed the general principles of the Bill.

5. In their second and third meetings, held on the 26th and 27th June, 1963 at Sheopur and Shivpuri respectively, the Committee discussed generally the rates of the betterment levy.

The Committee also visited a few irrigated and non-irrigated areas with a view to know the basic difference between the two.

6. In their fourth meeting held at Korba on the 31st October, 1963 the Committee continued the general discussion on the Bill. After the meeting, the Committee visited a few irrigated and non-irrigated areas nearby.

7. At their fifth meeting held at Bhopal on the 8th December, 1963 the Committee concluded general discussion on the Bill.

8. At their sixth meeting held at Bhopal on the 26th December, 1963 the Committee considered the Bill clause by clause.

9. At their seventh meeting held at Bhopal on the 17th January, 1964 the Committee considered and finalised the draft of amendments to various clauses of the Bill and authorised the Chairman to approve the draft Report and present it to the House.

10. The observations of the Committee with regard to the principal changes proposed in the Bill are detailed in the succeeding paragraphs.

11. *Clause* 2.—The Committee feel that betterment levy should be levied on only that area which is newly brought under irrigation by construction, improvement or extension of a canal.

Item (iii) of sub-section (a) of the proposed section 58-A has accordingly been omitted and a new proviso has been added to sub-section (b).

12. *Clause* 4:—(1) The Committee feel that the holder should have the right to make payment at any time the difference between Rs. 140.00 together with interest thereon calculated at the rate of 4½ per cent per annum and the amount already paid by him by way of instalments.

A proviso has accordingly been added to sub-section (2) of the proposed section 58-C.

(2) The Committee are further of the view that betterment contribution should not be levied on a farmer's holding which falls within the commanded

---

*Publish in English and Hindi in the "Madhya Pradesh Gazette", (Extraordinary), dated the 4th August 1962.

area if he, having his own works of irrigation, does not desire to avail of the canal irrigation.

Sub-section (4) has, therefore, been added after sub-section (3) of the proposed section 58-C.

(3) The Committee consider that the officer authorised under clause (iii) of the proposed section 58-D should not be an officer below the rank of a Sub-Divisional Officer.

Clause (iii) of the proposed section 58-D has been amended accordingly.

(4) The Committee are of the view that the date specified for presenting written objections to the Authorised Officer under clause (iv) of section 58-D should fall within three months, and not two months, from the date of publication of the notification.

Clause (iv) of the proposed section 58 D has been amended accordingly.

13. *Clause* 7.—The clause has been amended with a view to make it more clear.

14. *Clause* 8.—The Committee feel that there should be a provision for two appeals in the proposed section 58-HH, the first appeal within sixty days and the second appeal within 90 days of the original order.

Accordingly a new section 58-HH has been substituted for the present section.

15. The other amendments made by the Committee are of minor or consequential nature.

16. The Select Committee recommend that the Bill as amended be passed.

BHOPAL :
The 10th February 1964.

MAHESH DATT MISHRA,
Chairman.

विमति टिप्पणियां

(१)

सिंचाई के कारण सिंचित योग्य भूमि के मूल्य में यदि कुछ वृद्धि होती है तो भी कृषकों की माली हालत (देय क्षमता) अधिक नहीं है तब जनतंत्रीय प्रणाली के आधार पर स्थापित शासन द्वारा उनसे नगदी एक साथ प्रति एकड़ रु. १४०.०० या २० वार्षिक किस्तों में प्रति एकड़ रु. २२४.०० सुधार अंशदान वसूल कर सकना संभव नहीं होता इसलिये इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भी कानून पर अमल करना अर्थात् सुधार अंशदान कृषकों से वसूल करने के लिये अधिसूचना द्वारा तिथि निश्चित करना शासन यदि अत्यन्त आवश्यक समझे तो पंजाब, महाराष्ट्र आदि राज्यों की सरकार की तरह मध्यप्रदेश शासन भी कृषकों से (यदि कृषक स्वेच्छा से जमीन देना चाहता है तो) सुधार अंशदान के बराबर मूल्य की जमीन लेना स्वीकार करे।

इस विधेयक में सुधार अंशदान के रूप में कृषकों से भूमि भी लेने का प्रावधान नहीं है जो किया जाना था।

दिनांक १७-१-१९६४. उदयराम.

(२)

सिंचाई पर आबपाशी के अलावा सुधार-कर वसूल किये जाने बाबत सरकार द्वारा मूल कारण यह बताया गया है कि बांध एवं नहरों के निर्माण में जो द्रव्य लगी है उसके फलस्वरूप में जो कृषि में उन्नति हुई और जमीन की कीमत बढ़ी उसके बदले में किसान को सुधार-कर देना आवश्यक है। नहर का पानी मिलने से फ़सल में उपज बढ़ती है परन्तु जमीन की किस्म का भी प्रभाव रहता है, काली मिट्टी नहर के पानी से तीन साल बाद ठंडी हो जाती है और फिर उपज में बढ़ोतरी नहीं होती है।

किसान आबपाशी तो देता ही है पर उसके अलावा सुधार-कर अलग से वसूल करना किसान के साथ अन्याय है। एक तो किसान अन्य वर्गों से बहुत पिछड़ा है, कोई ऐसा किसान न होगा जिसने केवल कृषि के सहारे अन्य धन्धे करने वालों के मुकाबले में तरक्की की हो। फिर आये दिन किसान की फसल के लिये तुषार, गिरुआ, टिड्डी दल व अन्य प्रकार के कीड़े, जंगली जानवर, ओले, सूखा, कम बरसा, भीषण बरसा आदि नुकसान पहुंचाते रहते हैं जिससे किसान पनप नहीं पा रहा है। फिर सुधार-कर किसान के लिये भारी बोझा है। इन्ही तमाम बातों को ध्यान में रखकर जलकर समिति की रिपोर्ट में कई सदस्यों ने सुधार कर का विरोध किया है और यहां तक कहा है कि किसान की घाटे की खेती है।

धारा २—प्रस्तावित धारा ५८-अ के परन्तुक में किसी विद्यमान नहर को सुधार-कर या उसका विस्तार करके की गई हो तो वह क्षेत्र जो कि ऐसी विद्यमान नहर द्वारा पहिले से सिंचित किया जा रहा था वह समाविष्ट हुआ नहीं समझा जावेगा, यह छूट दी है, यह तो ठीक है पर मेंड़ से मेंड़ लगी होने तथा एक ही गांव के किसान जिन्हें सुधार-कर लग जावेगा वह अपने पर पक्षपात समझेंगे तथा इसमें पहिली निर्माण की लागत और सिंचाई ऐरिया पहिले का तो शामिल नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है।

उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बंगाल में सुधार-कर वसूल करने का प्रावधान नहीं है फिर मध्यप्रदेश का किसान तो अधिक गरीब है। इस संशोधन विधेयक में इस बात का कहीं भी प्रावधान नहीं है कि किसान को कितना पानी दिया जावेगा यदि पानी के अभाव में किसान की फसल सूख जाती है तो फिर उसका नुकसान सरकार देगी या नहीं ?

औद्योगिक स्थानों में भी जमीन की कीमत एवं अन्य लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ जाती है पर कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाता है। जहां तक शासन की आमदनी बढ़ाने का प्रश्न है नैचरल इन्डस्ट्रीज को बढ़ाया जावे, बसों आदि का राष्ट्रीयकरण किया जावे। लकड़ी, कागज एवं खजिन पदार्थों का व्यापार सरकार स्वयं अपने हाथ में ले। इस प्रकार बिना टैक्स के आमदनी बढ़ाई जा सकती है। किसान अन्य प्रकार के करों एवं ऋण के भारी बोझ से दबा हुआ है, फिर आबपाशी के अलावा सुधार-कर वसूल करना अन्याय है।

दिनांक २२-१-६४. **लक्ष्मीनारायण नायक.**

(३)

मैं अपनी विमति टिप्पणी मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) विधेयक, १९६२ जो प्रवर समिति द्वारा पास किया गया है, दे रहा हूं।

मैं नीति रूप से इस विधेयक को स्वीकार नहीं करता हूं। शासन समाजवाद की स्थापना की बात कहता है। अतः इस विधेयक द्वारा जहां पर ५ लाख रुपयों से अधिक व्यय १ अप्रैल १९५१ से किया गया है या किया जायेगा वहां के कृषकों पर खुशहाली कर २२४ रु. प्रति एकड़ लिया जायेगा। इसका मतलब है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई होगी वहां के कृषकों के सिर पर भार पड़ेगा। पानी के देने से ही पैदावार नहीं बढ़ती है इसके लिये जरूरत है कि खाद व जमीन की जुताई भी ठीक की जावे तभी उपज बढ़ती है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि किसानों में खुशहाली कर देने की क्षमता होगी क्योंकि रिजर्व बैंक की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत का ६२ प्रतिशत किसान कर्ज में डूबा है। ऐसी हालत में खुशहाली कर से कई किसानों की जमीनें बिक जायेंगी।

शासन ने करोड़ों रुपये की योजना शहरों में चालू की हैं जहां इन योजनाओं से लाभ पहुंचा है वहां पर यह कर नहीं लगाया गया है। आज जो भी योजनाएं लागू हो रही हैं उनका लाभ शहरों के अमीर लोगों को ही मिल रहा है जब कि अन्य करों के अलावा इस कर का सम्पूर्ण भार किसान पर पड रहा है जिसके कारण किसानों की हालत और खराब होगी।

इस खुशहाली कर का सबसे बड़ा असर भिंड और मुरैना पर पड़ने वाला है। इन क्षेत्रों में आज भी बड़ी अराजकता है। इस नये कर के लगने से इन जिलों के किसानों की हालत बहुत ही खराब हो जायेगी और किसान यह कर नहीं दे सकेंगे।

अतः मेरी राय में इस कर को लागू नहीं करना चाहिये।

दिनांक २८-१-६४. चन्द्रभानसिंह चौहान.

(४)

मध्यप्रदेश सिंचाई तरमीम बिल नम्बर ३६ सन् १६६२ जिसके जरिये से किसानों पर इस नाम से कि सिंचाई की सहूलियतें मुहैया कर दिये जाने के बाद उनके जमीनों की हैसियत बढ़ जायेगी, एक मुश्त १४० रुपये फी एकड़ और किस्तों की सूरत २२४ रुपये मय सूद (जबकि सूद कर्ज पर लगता है, टैक्स पर नहीं) लगान और सिंचाई के अलावा खुशहाली टैक्स आयंत करता है जो किसानों की मौजूदा हालत और उनकी फर्जी खुशहाली दोनों लिहाज से बिलकुल गलत और तबाहकुन है।

अगर हमें अपने मुल्क में अनाज की कमी को पूरा करना और पैदावार बढ़ाना है तो इस किस्म के कोई भी कानून तरक्की के बजाय तनज्जुल और खुशहाली के बजाय बदहाली में मदद देंगे। यही नहीं बल्कि उसका इमकान भी मौजूद है कि जो बराये नाम सिंचाई इस वक्त मौजूद है वह भी चौपट हो जाये और लोग खुशहाली के ख्याल से डरने और भागने लगें।

हिन्दुस्तान के जिन दो-चार सूबों में बैटरमेंट लैवी लगाने का तजरबा किया गया है वहां भी यह नाकाम रहा है और इंतहाई सख्तियों के बाद भी किसानों ने उसे कुबूल नहीं किया है। यही वजह है कि यह हर जगह एक मुर्दा कानून बन चुका है इसलिये हमारे सूबे में इस किस्म की गलत मिसालों की पैरवी दानिशमन्दी नहीं कही जा सकती न इससे हमारी स्टेट को कोई काबिले लिहाज आमदनी ही हो सकती है। खुद हमारे सूबे के एक हिस्से मध्यभारत (जहां यह कानून पास किया गया था) में कभी अमल नहीं किया जा सका, न हमारे मौजूदा सूबे में किसी वक्त भी इसे अमल में लाया गया।

दुनिया में जहां जमीनों से अच्छी पैदावार लेने की कोशिशें की गई हैं वहां हरएक जगह किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें और रियायतें दी गई हैं और उन पर लैवी लगाने के बजाय सबसिडी दी गई है तब कहीं जाकर अच्छी फसलें हासिल की जा सकी हैं। इसलिये हमें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार कर एक ही मर्तबा में सारे अंडे छीन लेने की गैरदानिश मन्दाना पालिसी पर हरगिज अमल नहीं करना चाहिये।

यह एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी कि जहां रेल और पुख्ता सड़कें निकलें, कारखाने खुलें, सस्ती बिजली आ जाये, और दूसरे तरक्की के सामान मुहैया हो जायें वहां तो हम खुशहाली की बात भी न करें लेकिन जहां नहर निकल जाये या बांध बन जाये वहां खुशहाली के ख्याली घोड़े दौड़ा दें और अच्छी फसलें हासिल होने से पहले ही उन्हें रौंद डालें जब कि हम बढ़े हुए लगान को वापिस ले चुके हैं, जबरी बचत से हाथ धो चुके हैं और एग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स तक को रोके बैठे हैं।

सिंचाई के प्रायवेट, पुराने और ५ लाख रुपये से कम की लागत वाली सिंचाई जमीनों पर यह कानून लागू नहीं होगा और इस तरह एक ही इलाके में दो किस्म के सुलूक होंगे और एक ही स्टेट दो किस्म का बर्ताव करेगी जिसे किसी तरह हक बजानिब नहीं कहा जा सकता इसलिये मैं इस कानून के किसी हिस्से से इत्तफाक नहीं कर सकता हूं और मेरी राय में इसे फौरन खत्म कर दिया जाना चाहिये और स्टेट को अपनी आमदनी बढ़ाने और तरक्की के काम करने के लिये ज्यादा आमदनी वालों पर टैक्स बढ़ाना चाहिये जो इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद है कि हमारा बजट आज दुगुना हो सकता है जिससे हम अपनी जराअत और सनत की दिल खोलकर मदद कर सकते हैं और अपनी पैदावार को इसी निस्बत से दिन-दूनी रात-चौगनी तरक्की दे सकते हैं।

दिनांक २६-१-६४. शाकिर अली खां.

(५)

प्रस्तुत संशोधन विधेयक द्वारा मूल मध्यप्रदेश सिंचाई विधान, १९३१ के अध्याय ६ (अ) में की प्रमुख धाराओं का संशोधन चाहा गया है। जिसमें किसानों पर "सुधार अंशदान" (betterment-Contribution) लगाने का मूल प्रावधान रखा गया था। अतः सुधार अंशदान के मूल औचित्य पर भी पुनर्विचार करने का यह मौका विधान सभा को प्राप्त हुआ है।

१. किसान से इस प्रकार सुधार अंशदान लेने की मूल नीति से ही मैं असहमत हूं। किसान पर सुधार अंशदान के नाम पर यह जो बोझ डाला जा रहा है वह तत्वतः त्रुटिपूर्ण है। एक ओर पंचवर्षीय योजना, जिसमें सिंचाई साधन भी शामिल हैं, के लिये सर्वसाधारण कराधान में वृद्धि हो चुकी है व उस करवृद्धि का असर किसानों पर सबसे अधिक हुआ है। साथ ही यह भी निर्विवाद सत्य है कि गत १५ वर्षों में किसान को लगने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है जब कि उसके द्वारा उत्पादित चीजों के दामों में उतनी प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत शहरों में उत्पादित होने वाली चीजों के दामों में वृद्धि दिखाई देती है।

२. शहरी क्षेत्रों में जहां योजना के अन्तर्गत नये उद्योगों की स्थापना के कारण या बिजली, तार, टेलीफोन, अद्यावत् यातायात साधन तथा शक्षणिक एवं अन्य सुविधा के साधनों के उपलब्ध होने के कारण जमीन की कीमत में जो वृद्धि होना पाई जाती है वह केवल सिंचाई साधन के उपलब्ध होने के कारण किसी किसान की जमीन की कीमत में वृद्धि होने के कई प्रतिशत अधिक है। ऐसी हालत में केवल किसान से 'सुधार अंशदान' लना उसके साथ अन्याय होगा। इससे देहाती क्षेत्र व शहरी क्षेत्र को भिन्न मान्यताओं से नापकर देखने की असमानतापूर्ण नीति स्पष्ट होती है।

३. "सुधार अंशदान" लेने की पद्धति इसलिये भी त्रुटिपूर्ण है कि यह एक असीमित कर प्रावधान (Endless Taxation measure) है। भूमि सुधार के लिये कर वृद्धि की जाय भूमि में सुधार (जिसके फलस्वरूप कीमत में वृद्धि होती हो) होने पर फिर उस पर "सुधार-कर" लगाया जाय यह कहां तक संयुक्तिक है? इतना ही नहीं, बल्कि यह सुधार अंशदान किसी निश्चित धनराशि वसूल होने तक सीमित नहीं है वह भविष्य में होने वाले इस विधान में परिभाषित प्रत्येक सुधार के साथ लगाया जाता रहेगा। परिणामतः वह असीमित कराधान सिद्ध होगा।

४. "सुधार-कर" के पक्ष में यह दलील दी जाती है कि शासन किसी विशिष्ट स्थान पर अधिक मात्रा में कुछ रुपया लगाता है इसलिये वह रुपया उन सुधारों का लाभ उठाने वालों से वापस लेने का हकदार है। यह दलील तर्कसंगत नहीं है। किसी भी स्थान के भौगोलिक एवं नैसर्गिक स्थिति का अधिक से अधिक लाभ वहां के निवासियों को उपलब्ध कराना यह शासन का कर्तव्य है। यह कार्य शासन राज्य के संचित निधि (Consolidated Fund) से ही करता है। परिणामतः जो भी विकास होता है वह राज्य के सर्वसाधारण विकास का ही एक अंग मात्र होता है। राज्य के पास आये हुए धन में इतना इसका है, उतना उसका है, अतः इतना यहां खर्च होना चाहिये, उतना वहां नहीं खर्च होना चाहिये यह भावना राज्य की एकात्मता के विरुद्ध होकर इस आधार पर जहां कुछ अधिक खर्च करके सुधार किया हो वहां के किसानों से "सुधार अंशदान" लेना यह तत्वतः दोषपूर्ण है।

अतः उपरोक्त बताये तथ्यों के आधार पर सुधार अंशदान किसानों से वसूल किये जाने से मैं असहमत हूं।

५. इसके अतिरिक्त इस विधेयक में जो अन्य कुछ प्रावधान हैं, उन पर भी असहमति निम्नानुसार है:—

(अ) खंड २ में ५८-अ के (क) (दो) में "नई नहर" के निर्माण या सुधार या विस्तार की लागत की पांच लाख रुपयों की तथा एक हजार एकड़ की जो सीमा रखी है वह १० लाख रुपये एवं डेढ़ हजार एकड क्रमशः होना आवश्यक है। नहरों के लिये

विभाग को लगने वाली दिनोंदिन बढ़ती हुई लागत को देखते ऐसा करना उचित ही होगा ।

(ब) (१) खंड ४ में ५८-इ में जो "सुधार अंशदान" की एक ही दर लगाई गई है उसके स्थान पर सिंचाई साधनों के प्रकार जैसे संग्रह बांध या जलाशय जिनमें वर्ष भर पानी रहता हो या वर्ष भर पानी नहीं रहता हो आदि के आधार पर सुधार अंशद न की दरें निश्चित होना आवश्यक है। कारण किसी भी भूमि की कीमत उसको उपलब्ध सिंचाई साधन के प्रकार पर निर्भर रहती है। लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रस्तुत विधेयक में स्थान नहीं दिया गया है।

(२) इसी खंड में उपधारा (२) के साथ जो नया परन्तुक प्रवर समिति द्वारा जोड़ा गया है उसमें सुधार अंशदान की रकम का भुगतान बड़ी रकम में करने की सहूलियत केवल एक ही मर्तबा हो सकती है। इसके बजाय यह सहूलियत एक से अधिक मर्तबा दी जाना किसान के हित में होगा ।

(३) इसी परन्तुक में एक और प्रावधान रिबेट का होना आवश्यक है । यदि किसान सम्पूर्ण सुधार अंशदान का आकार केवल दो वर्षों में ही अदा कर दे तो उसे १० प्रतिशत का रिबेट देना अनुचित नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार विमति के अतिरिक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित अन्य प्रावधानों से मैं सहमत हूं ।

भालचन्द्र बागदरे.

यशवन्तराव मेघावाले.

(As amended by the Select Committee)

MADHYA PRADESH BILL

No. 39 of 1962.

THE MADHYA PRADESH IRRIGATION (AMENDMENT) BILL, 1962.

TABLE OF CONTENTS

Clauses.

1. Short title.
2. Substitution of section 58-A.
3. Omission of section 58-B.
4. Substitution of sections 58-C and 58-D.
5. Amendment of section 58-E.
6. Amendment of section 58-F.
7. Substitution of section 58 G.
8. Amendment of section 58-H.
9. Substitution of section 58-J.

(As amended by the Select Committee)

MADHYA PRADESH BILL

No. 39 OF 1962.

[Omissions made by the Select Committee are enclosed in square brackets and additions and alterations made by them are sidelined or underlined.]

THE MADHYA PRADESH IRRIGATION (AMENDMENT) BILL, 1962.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the [Thirteenth] Fifteenth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Irrigation (Amendment) Act, [1962] 1964.

Substitution of section 58-A.

2. For section 58-A of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (III of 1931) (hereinafter referred to as the principal Act), the following section shall be substituted, namely:—

Definitions of "new canal" and "commanded area."

"58-A. For the purposes of this Chapter—

(a) the expression "new canal" means—

(i) a canal, the construction of which has been undertaken on or after the 1st April, 1951; or

(ii) such existing canal, the improvement or extension of which has been undertaken on or after the said date;

and the cost of construction or improvement or extension, as the case may be, whereof is 5 lakhs of rupees or more or which has an irrigable capacity of one thousand acres or more; and which has been notified as a new canal by the State Goverment;

[(iii) which has been notified as a new canal by the State Government;]

(b) "commanded area" in relation to a new canal means the area comprising of a land which may be irrigated from that canal by the flow of water under gravity and without the need of lifting or pumping the water:

Provided that in relation to a new canal provided by improving or extending an existing canal, the area which was being irrigated already by such existing canal shall be deemed not to have been comprised in the commanded area.

Omission of section 58-B.

3. Section 58-B of the principal Act shall be omitted.

Substitution of sections 58-C and 58-D. 4. For sections 58-C and 58-D of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

Levy of betterment contribution.

"58-C. (1) As from such date as the State Government may, by notification, appoint, such date being not earlier than three years from the commencement of the operation of a new canal, there shall be levied on every permanent holder of land, whose land is situate within the commanded area, betterment contribution at the following rates—

(a) Rs. 140 per acre, payable in one lump sum; or

(b) Rs. 224 per acre payable consecutively for twenty years, excluding the years in which recovery thereof may be postponed by the State Government in accordance with section 58-I, as under—

(i) Rs. 8 per acre per year for the first five years;

(ii) Rs. 12 per acre per year for the next fourteen years;

(iii) Rs. 16 per acre for the twentieth year.

(2) The betterment contribution levied under sub-section (1) may, at the option of the permanent holder, be paid by him in one lump sum within three months from the date appointed under sub-section (1) or in twenty annual instalments, the first instalment being payable within two months from the date appointed under sub-section (1) and the subsequent annual instalments being payable within one month from the date on which they would fall due for payment in each subsequent year:

Provided that if the permanent holder who has undertaken to pay the betterment contribution in annual instalment desires, at any time after the payment of the first or subsequent instalment, to make payment in one lump sum, he shall be required to pay per acre in full the amount equal to the difference between Rs. 140 together with interest thereon calculated at the rate of 4½ per cent per annum for the period from the date appointed under sub-section (1) till the date of such payment in lump sum and the amount already paid by him by way of such instalments.

(3) Any instalment of betterment contribution or part thereof which remains unpaid on the expiry of the period under sub-section (2), shall, with effect from the date on which such period expires, carry interest at the rate of six per centum:

Provided that when the recovery of any instalment is postponed under section 58-I. such instalments shall not be deemed to be remaining unpaid for the purpose of this sub-section during which the recovery thereof remains postponed.

(4) If the State Government is satisfied that the levy of betterment contribution is likely to cause hardship to any permanent holder or class of such holders in any commanded area, the State Government may, by notification, exempt such holder or such class of holders in such area from payment of the amount of betterment contribution in whole or in part, as may be specified in the notification, subject to such terms and conditions if any, as the State Government may deem fit to impose.

Explanation.—For the purposes of sub-section (4), the levy of betterment contribution shall be deemed to cause hardship if,—

(i) as a result of new canal, the prices of lands situate in a commanded area has not risen by more than fifty per centum over the price prevailing prior to availability of irrigation facilities from such new canal.

(ii) the permanent holder who having already constructed private irrigation work, prior to the commencement of the operation of the new canal, on his land does not desire to avail of the irrigation facilities from such new canal.

58-D. Before appointing the date under sub-section (1) of section 58-C from which betterment contribution shall be levied, the State Government shall issue a notification— Notification of commanded area by State Government.

(i) specifying the commanded area defining the boundaries thereof;

(ii) appointing the place or places at which particulars of holdings of permanent holders whose lands are situated in the commanded area specified in clause (i) can be seen;

(iii) appointing [an officer] a Revenue Officer not below the rank of a Sub-Divisional Officer (hereinafter referred to as the Authorised Officer) who shall enquire into and determine the amount of betterment contribution payable by each permanent holder: and

(iv) specifying a date not less than [two] three months from the date of the publication of such notification and requiring every permanent holder in the said area who objects to the inclusion of any land within the commanded area or to the correctness of any particulars regarding his holding to present to the Authorised Officer a written objection on or before such date, stating the nature of his objection and the relief sought by him."

5. In section 58-E of the principal Act, for the words "benefitted area" occurring twice, the words "commanded area" shall be substituted Amendment of section 58-E.

Amendment of Section 58-F.

6. In section 58-F of the principal Act, after the word "and", the words "after giving an opportunity of being heard to the permanent holder preferring an objection", shall be inserted.

Substitution of section 58-G.

7. For section 58-G of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Powers of Authorised Officer.

["58-G. For the purposes of section 58-F the Authorised Officer shall be deemed to be such Revenue Officer as may be prescribed and shall exercise the powers conferred on such Revenue Officer, and follow the procedure laid down for the purpose in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959".]

Powers of Authorised Officer.

"58-G. For the purposes of section 58-F, the Authorised Officer shall exercise the powers conferred on a Revenue Officer of his grade, and follow the procedure laid down, for the purpose, in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959), and the rules made thereunder".

Amendment of sectiou 58-H.

8. For section 58-H of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

Determination of betterment contribution payable by holders.

"58-H. (1) After the objections, if any, preferred under section 58-D have been disposed of, the Authorised Officer shall make an order specifying—

(a) the lands (with Khasra Nos. and area) commanded by the new canal;

(b) the betterment contribution payable by each permanent holder in respect of the land specified under (a) above.

(2) The order shall be notified in the prescribed manner, and a copy thereof shall be placed for public inspection at such place or places and for such time, as may be prescribed.

Appeal.

[58-HH, Any person aggrieved by the order passed under section 58 H may prefer an appeal within sixty days from the date of the order to the prescribed authority.]

Appeal.

58-HH. An appeal shall lie against every order passed under section 58-H to the authority competent to hear appeals under sub-section (1) of section 44 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959), from an officer of the same grade under the said Code and the provisions of sub-section (2) of the said section shall thereon apply accordingly :

Provided that no appeal shall be entertained unless—

(i) in the case of first appeal, it is filed within 60 days from the date of the order appealed against; and

(ii) in the case of second appeal, it is filed within 90 days from the date of the order appealed against:

Provided further that—

(i) in computing the period aforesaid, the time requisite for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded; and

(ii) the provisions of section 5 of the Limitation Act, 1963 (No. 36 of 1963), shall apply to such appeals.

58-HHH. Subject to the orders passed in appeal under section 58-HH, the order made under section 58-H shall be final. Finality of award

9. For section 58-J of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of section 58-J.

"58-J. (1) The betterment contribution under this chapter shall be payable to the Revenue Officers in the same manner as land revenue, and in default of payment, it shall be recoverable as arrears of land revenue. Betterment contribution to be recoverable as arrears of land revenue.

(2) The amount of betterment contribution realised shall be ~~final~~ credited as State revenue under such head as may be prescribed".

X9(D26):(Z).271.NG6
94515 K4

GCPB—2605—VS—21-2-64—500.